न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(डॉ.सौम्या झा आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 109/2011

प्रविष्टि दिनांक 17.03.2011

1–नारायण सिंह पुत्र भवंरसिंह जाति राजपूत निवासी महुवा तहसील व जिला टोंक राज0 (मृतक)

1/1–हिम्मत सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी महुवा तहसील व जिला टोंक राज0

1/2 भूपेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी महुवा तहसील व जिला टोंक राज0

1/3 विजय कंवर पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी महुवा तहसील व जिला टोंक राज0

1/4 मंजू कंवर पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी महुवा तहसील व जिला टोंक राज0

1/5 श्रीमति स्वरूप कंवर पत्नि नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी महुवा तहसील व जिला टोंक राज0

2– गजराज सिंह पुत्र भवंर सिंह जाति राजपूत निवासी महुवा तहसील व जिला टोंक राज0

.... प्रार्थीगण

बनाम

1–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक

2–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री सीताराम विजय,अभिभाषक प्रार्थीगण

(2) श्री रामधन सैनी व श्री दीपक शर्मा,अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांक 04.03.2025

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम महुवा तहसील टोंक की भूमि ख0नं0 431 मे से 3400 वर्गमीटर,खसरा नम्बर 436 मे से 2300 वर्गमीटर,खसरा नम्बर 441 मे से 2000 वर्गमीटर,खसरा नम्बर 442 मे से 3500 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 443 मे से 1400 वर्गमीटर कुल 12600 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गलत निर्धारण कर डीएलसी दर से कम दर पर निर्धारित किया गया है। प्रार्थीगण अपनी भूमि का बाजार मूल्य की दर से भूमि पर

आर्बिट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

जिला कलेक्टर

स्थित निर्माण संरचनाओ,पेड–पोधो, वट वृक्ष,12 पेड नीम 100 मीटर कि परिधि मे स्थित आवासीय एंव व्यवसायिक भूमि की दर से तथा भूमि पर लगे पेड–पौधो का मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः अवार्ड 1398,1400,1401,1402,1403 / 09 दिनांक 06.07.2010 को निरस्त कर भूमि का बाजार मूल्य की दर से,भूमि पर स्थित निर्माण संरचनाओ,पेड–पोधो, वट वृक्ष,12 पेड नीम 100 मीटर कि परिधि मे स्थित आवासीय एंव व्यवसायिक भूमि की दर से तथा भूमि पर लगे पेड–पौधो का मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 1398,1400,1401,1402,1403 / 09 दिनांक 06.07.2010 तलब की गई एंव उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 431,436,441,442 व 443 मे से कुल रकबा 12600 वर्गमीटर वाके ग्राम महूवा मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात प्रार्थीगण को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोंई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी खसरा 441 मे स्थित निर्मित सरंचना कुआ का मुआवजा कुल 1,92,651 रूपये निर्धारित किया गया है।जमीन की किस्म चाही–1,जाव–1 व नहरी–1 राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। प्रार्थीगण आबादी /सडक के पास स्थित भूमि की दर से तथा भूमि पर लगे पेड–पौधो की भूमि का मुआवजा निर्धारित करवाने का अधिकारी नही है।सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 सुनी। जवाब / बहस का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली तथा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 431 मे से 3400 वर्गमीटर,खसरा नम्बर 436 मे से 2300 वर्गमीटर,खसरा नम्बर 441 मे से 2000 वर्गमीटर,खसरा नम्बर 442 मे से 3500 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 443 मे से 1400 वर्गमीटर कुल 12600 वर्गमीटर किस्म जमीन चाही–1,जाव–1 व नहरी–1 वाके ग्राम महूवा का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा बाजार मूल्य की दर से,भूमि पर स्थित निर्माण संरचनाओ,पेड–पोधो, वट वृक्ष,12 पेड नीम 100 मीटर कि परिधि मे स्थित आवासीय एंव व्यवसायिक भूमि की दर से तथा भूमि पर लगे

जिला कलेक्टर

आर्बिट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

पेड–पौधो का मुआवजा का चाहा गया है,परन्तु उनके द्वारा इसकी तायद मे साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया गया है। निर्माण संरचनाओ का मुआवजा सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा पृथक से मूल्याकंन/सर्वे कराकर अवार्ड पारित किया गया है। अवार्ड पत्रावली मे संलग्न सर्वे प्रपत्र दिनांक 21.04.2010 के अनुसार उक्त भूमि पर पेड–पौधे वृक्षो का विवरण नही है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 04.03.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ. सौम्या झा)
आर्बीट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक

आर्बीट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)